राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1289/2025

सुजाता गोठवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राज., जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–2), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. खेताराम, नर्सिंग ऑफिसर, पीएचसी, सेफरागुवार, खेतड़ी, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2020 में नर्स ग्रेड के पद पर हुई थी। अपीलार्थी विभिन्न जगह पदस्थापित रहा है। अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को एक आलोच्य आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी, सेफरागुवार, खेतड़ी झुंझुंनू से राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना, सीकर में प्रत्यर्थी संख्या 4 खेताराम के स्थान पर किया गया है एवं अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर किया गया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम कम संख्या 8 पर अंकित है एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम कम संख्या 7 पर अंकित है।

(अनुलग्नक–1) आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 नर्स ग्रेड I के पद पर पदस्थापित है और पीएचसी, सेफरागुवार, खेतडी में नर्स ग्रेड I का पद भी है। लेकिन आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया है एवं नर्स ग्रेड I का पद रिक्त है। उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पद विरूद्ध अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया है। उक्त आदेश प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी के पति भी दिल्ली पुलिस में हैड कानि. के पद पर पदस्थापित है एवं अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे है, जिनकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर निर्भर करती है। उक्त आदेश प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। चूंकि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 4 का पद ही सृजित नहीं है। बिना सृजित पद के प्रत्यर्थी संख्या 4 का पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया गया है, जो कि बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। (अनुलग्नक–4) खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खेतड़ी ने दिनांक 21.01.2025 को श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के संदर्भ में मार्ग दर्शन मांगा कि प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री खेताराम, नर्सिंग ऑफिसर न होकर वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर है। वर्तमान में पीएचसी, सेफरागुवार, खण्ड खेतड़ी, जिला झुंझुंनू में नर्सिंग ऑफिसर का एक पद स्वीकृत है एवं वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर का एक ही पद है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकारक की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंधम में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पीएचसी, सेफरागुवार, खेतड़ी, झुंझुंनू में ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यता से जारी किया गया है और अपीलार्थी को निम्न पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी है। जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी, सेफरागुवार, खेतड़ी झुंझुंनू से राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना, सीकर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थाना पर स्थानान्तरित किया गया है और खेताराम को राजकीय जिला चिकित्सालय नीम का थाना, सीकर से अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी खेताराम नर्स ग्रेड I है और अपीलार्थी नर्स ग्रेड II है। उन्होंने खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खेतड़ी द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.01.2025 (अनुलग्नक–5) की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया।

जिससे स्पष्ट है कि पीएचसी सेफरागुवार, खेतड़ी, झुंझुनू में नर्सिंग आफिसर का एक पद और वरिष्ठ नर्सिंग आफिसर का एक पद रिक्त है। अपीलार्थी का कथन है कि पीएचसी सेफरागुवार खेतड़ी में नर्सिंग ऑफिसर का एक पद और वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर का एक पद रिक्त होने के बावजूद उनको जिला चिकित्सालय नीम का थाना में खेताराम के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी को पद विरूद्ध नर्सिंग ग्रेड I के पद पर लगा दिया है जिससे अपीलार्थी भविष्य में अधिशेष होने की आशंका रहेगा।

हम यह पाते है कि पीएचसी सेफरागुवार खेतड़ी में नर्सिंग ऑफिसर और वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के एक–एक पद रिक्त है। अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थी। जिनका स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय नीम का थाना में किया गया है। यह अविवादित स्थिति है कि अपीलार्थी को उससे निम्न के पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय नीम का थाना में नर्सिंग ऑफिसर और वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के कितने पद स्वीकृत है। इसका कोई विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। आलौच्य आदेश में हम किसी तरह की अनियमितता या दुर्भावना नहीं पाते है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी का वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदस्थापन के आधार पर भविष्य में उसको अधिशेष नहीं समझा जायेगा।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य